रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 14, 1997/पौष 24, 1918
No. 30] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 14, 1997/PAUSA 24, 1918

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1997

का. आ. 38(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986(1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए भूमिगत जल प्रबन्ध और विकास के विनियमन और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड प्राधिकरण गठित करती है, अर्थात् :—

(1) अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —अध्यक्ष

(2) सदस्य, (अन्वेषक और सामग्री प्रबन्ध),केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य

(3) सदस्य, (प्रोत्साहन प्रबन्ध और संपर्क), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य

(4) सदस्य, (सर्वेक्षण, निर्धारण और मानीटरी), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य

(5) .....; —सदस्य

(केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाला संयुक्त सचिव,
भारत सरकार की पंक्ति से अनिम्न कोई अधिकारी)

2. प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(i) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन शक्तियों का उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सभी मामलों की बाबत ऐसे अध्युपाय और निदेश जारी करने के लिए प्रयोग करना;

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 15 से धारा 21 में अन्तर्विष्ट शास्तिक उपबन्धों का अवलम्ब लेना ,

(iii) देश में अन्धाधुन्ध बोरिंग करने और भूमिगत जल निकालने को विनियमित करने तथा भूमिगत जल को परिरक्षित और संरक्षित करने की दृष्टि से आवश्यक विनियामक निदेश जारी करना।

3. प्राधिकरण की अधिकारिता सम्पूर्ण भारत पर होगी।

4. प्राधिकरण, भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कृत्य करेगा और इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा।

[फा. सं. एल.-11011/29/96-आई.ए.-III]

आर. एच. ख्वाजा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 1997

S.O. 38(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitute the Central Ground Water Board as an Authority for the purposes of regulation and control of Ground Water Management and Development for a period of one year from the date of publication of this notification in the official gazette, namely :—

(1) Chairman, Central Ground Water Board	—Chairperson
(2) Member (Exploratory Drilling and Materials Management), Central Ground Water Board	—Member
(3) Member (Sustainable Management and Liaison), Central Ground Water Board	—Member
(4) Member (Survey, Assessment and Monitoring), Central Ground Water Board	—Member
(5)	—Member
(An officer not below the rank of the Joint Secretary to the Government of India to be appointed by the Central Government)	

2. The Auhority shall exercise the following powers and perform the following functions, namely :—

(i) exercise of powers under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 for issuing directions and taking such measures in respect of all the matters referred to in sub-section (2) of section 3 of the said Act;

(ii) to resort to the penal provisions contained in sections 15 to 21 of the said Act;

(iii) to regulate indiscriminate boring and withdrawal of ground water in the country and to issue necessary regulatory directions with a view to preserve and protect the ground water.

3. The jurisdiction of the Authority shall be whole of India.

4. The Authority shall function under the administrative control of the Government of India in the Ministry of Water Resources with its Headquarters at Delhi.

[F. No. L-11011/29/96-IA. III]

R.H. KHWAJA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997